कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-21.02.2024

"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000/- रु. अर्थदण्ड की सजा।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0026/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज उर्फ नीरज कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी सुल्तानपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय जे0एम0-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे जेल में बितायी गयी अवधि (लगभग 09 दिन) एवं 1000/- रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी